कम्प्यूटर स्टेशनरी की आपूर्ति हेतु प्री–बिड दिनांक 08.10.2018 का कार्यवृत्त

प्री–बिड बैठक में त्रयम्बकेश सेल्स के प्रतिनिधि श्री प्रशान्त सक्सेना एवं शारदा प्रिंटिंग प्रेस के प्रतिनिधि श्री विवेक तिवारी, रॉयल ट्रेडर्स के प्रतिनिधि श्री अब्दुल्ला, कॉमर्सियल ट्रेडिंग कम्पनी के प्रतिनिधि श्री गुड्डू उपस्थित हुए।

1– त्रयम्बकेश सेल्स की ओर से निविदा की शर्त 22 की ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया, जिसमें लिखा हुआ है कि "निविदादाताओं को विगत 03 वित्तीय वर्षों में कम से कम 25 लाख प्रत्येक वित्त वर्ष मे प्रपत्रों की छपायी का अनुभव प्राप्त हो"। इनके द्वारा 25 लाख प्रपत्र सरकारी अथवा अर्द्धसरकारी संस्था के लिए छापने का अनुभव सम्मिलित करने का अनुरोध किया गया है।

समिति का अभिमत– निविदादाताओं को केवल सरकारी व अर्द्धसरकारी संस्था के लिए प्रत्येक वित्त वर्ष में 25 लाख प्रपत्रों की छपायी की शर्त से आबद्ध करने पर प्रतिस्पर्द्धा में अत्यंत कमी आ जायेगी, जो उचित नहीं है। अतः निविदा की शर्त 22 यथावत रखा जाना उचित होगा।

2– शारदा प्रिन्टिंग प्रेस की ओर से निविदा की शर्त संख्या 23 की ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया है, जिसमें लिखा हुआ है कि "निविदादाताओं का न्यूनतम वार्षिक टर्न ओवर 02 करोड़ हो, जो चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित हो"। इनके द्वारा विगत 03 वर्षो में प्रत्येक वर्ष न्यूनतम वार्षिक टर्न ओवर 02 करोड होने का सुझाव दिया गया है।

समिति का अभिमत– "निविदादाताओं का विगत 03 वित्तीय वर्षो में प्रत्येक वित्त वर्ष न्यूनतम वार्षिक टर्न ओवर 02 करोड़ हो, जो चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित हो." का सुझाव माने जाने का अभिमत दिया गया।

3– रॉयल ट्रेडर्स एवं कॉमर्सियल ट्रेडिंग कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा निविदा की शर्त संख्या 21 को विलोपित किये जाने का अनुरोध किया गया, जिसमें लिखा है कि "ऐसे निविदाकर्ता, जो निदेशक, उद्योग/लघु उद्योग केन्द्र, डी0जी0एस0एण्ड डी0 कार्यालय द्वारा रजिस्टर्ड हों, अथवा कम्पनीज एक्ट, 1956/2013 के अन्तर्गत पंजीकृत हों, तो सत्यापित प्रतियां निविदा के साथ जमा करेंगे। यदि किसी फर्म ने इसके पूर्व इस विभाग में आपूर्ति की है तो उसका अभिलेखीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।"

समिति का अभिमत– समिति द्वारा उक्त शर्त को हटाया जाना उपयुक्त नहीं पाया गया।

(दिनेश कुमार रस्तोगी) वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।	8/10/18 (कमल जोशी) सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्राविधिक), कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।	(संजय शुक्ला) प्रधान प्रबंधक (प्राविधिक), उ0प्र0 राज्य परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश।

8.10.18